कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 15.05.2026

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆शासन स्तर पर चिन्हित सफेदपोश माफिया विजय मिश्रा, विजय मिश्रा के पत्नी व पुत्र प्रत्येक को 10 वर्ष व पुत्रवधू को 04 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल ₹5,26,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित

◆विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा एवं पुत्रवधू रूपा मिश्रा को उनके किये गये अपराधो में भदोही पुलिस की प्रभावी पैरवी से पहली बार मिली सजा

◆अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्तों को मिली सजा

◆वर्तमान में जेल में निरुद्ध माफिया विजय मिश्रा के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, सम्पत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित गम्भीर अपराधों के कुल-86 अभियोग हैं पंजीकृत

शासन स्तर पर चिन्हित सफेदपोश माफिया विजय मिश्रा व परिवार के सदस्य के विरूद्ध आवेदक को मारपीट कर बंधक बनाने तथा आवेदक के परिवार को उत्पीड़ित करने तथा जान से मारने की धमकी एवं वसीयत बनवाकर जबरन चल-अचल पैतृक सम्पत्ति अपने बेटे विष्णु मिश्रा के नाम कराने का दबाव बनाने के संबंध में थाना गोपीगंज पर पंजीकृत कराये गए आभियोग मुकदमा अपराध संख्या- 273 सन् धारा-323, 506, 449, 347,387, 419, 420, 467, 468, 471, 474,120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा-66 (सी), 66(डी)भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपीगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में **श्री शुभम अग्रवाल**, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय से अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनपद प्रयागराज में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं०-82/1980 अन्तर्गत धारा 302/34 व 307/34 भा०दं०सं० थाना-कर्नलगंज, जनपद-प्रयागराज में एवं जनपद भदोही पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायाधीश श्री योगेश कुमार ,-तृतीय पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय (एम.पी./ एम.एल.ए.)/अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज

द्वारा दोषसिद्वगण संतराम मिश्र, बलराम मिश्र, जीत नारायण एवं विजय कुमार मिश्र पुत्र स्वर्गीय रामदेव मिश्र निवासी खपटिहा थाना हंडिया जनपद प्रयागराज प्रत्येक को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302/307/34,धारा भा0दं0सं0 के लिये कठोर आजीवन कारावास तथा एक लाख पचास हजार (1,50,000/-) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। जनपद भदोही के थाना गोपीगंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या- 273 सन् धारा- 323, 506, 449, 347,387, 419, 420, 467, 468, 471, 474,120 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा-66 (सी), 66(डी)भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व लोक अभियोजक, एडीजीसी श्री प्रवेश तिवारी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-15.05.2026 को मा0 न्यायाधीश पुष्पा सिंह, विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एम.एल.ए.) / अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय भदोही-ज्ञानपुर द्वारा अभियुक्तगण द्वारा वादी को मारपीट कर बंधक बनाने तथा वादी के परिवार को उत्पीड़ित करने तथा जान से मारने की धमकी एवं वसीयत बनवाकर जबरन चल-अचल पैतृक सम्पत्ति अपने बेटे विष्णु मिश्रा के नाम कराने का दबाव बनाने के संबंध में-

1.दोषसिद्ध विजय मिश्रा पुत्र स्व० रामदेव मिश्रा निवासी ग्राम धनापुर कौलापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही हाल पता निवासी खपटिहा थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत मु0अ0सं0- 273/2020 धारा-323,506, 449, 347,387, 419, 420, 467, 468, 471, 474,120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा-66 (सी), 66(डी)भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹1,76,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2.दोषसिद्ध रामलली मिश्रा पत्नी विजय मिश्रा निवासी ग्राम धनापुर कौलापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत मु0अ0सं0- 273/2020 धारा-506, 449, 347,387, 419, 420, 467, 468, 471, 474,120 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा-66 (सी), 66(डी) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹1,75,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

3.दोषसिद्ध विष्णु मिश्रा पुत्र विजय कुमार मिश्रा तथा रूपा मिश्रा पत्नी विष्णु मिश्रा निवासी प्रथमतल 69 आनन्द लोक नई दिल्ली को सिद्वदोष अपराध अन्तर्गत मु0अ0सं0- 273/2020 धारा-506, 449, 419, 420, 467, 468, 471, 474,120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा-66 (सी), 66(डी) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹1,65,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

4.दोषसिद्ध रूपा मिश्रा पत्नी विष्णु मिश्रा निवासी प्रथमतल 69 आनन्द लोक नई दिल्ली को अन्तर्गत धारा-120बी.सपठित धारा-420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए चार वर्ष के साधारण कारावास व ₹10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने दो माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।